अति–आवश्यक / निजी ध्यानार्थ

संख्याः–ई0डी0एन0–एच0ई0(21)एफ0(18)30 / 2020–वी
उच्चतर शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:0177&2653120, Extn-234, Fax:2812882, E-mail: dhe-sml-hp@nic.in,

दिनांक शिमला–1 अक्तूबर, 2020

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
21 OCT 2020

सेवा में

समस्त जिला उप–शिक्षा निदेशक,
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

विषयः– हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, में दिनांक 29–08–2020 को आयोजित 116वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन बारे।

उपरोक्त विषय पर, सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, में दिनांक 29–08–2020 को आयोजित 116वीं बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अध्ययन केन्द्रों में छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के अनिवार्य एंव सफल संचालन हेतु जिला मुख्यालय तथा उप–मण्डल स्तर के सरकारी स्कूलों में राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाए।

इस सन्दर्भ में, मामले में किसी तरह का निर्णय लेने से पूर्व आपको निर्देश दिए जाते हैं कि निम्नलिखित सूचना इस निदेशालय को दो दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

1. जिला मुख्यालय स्तर तथा उप–मण्डल स्तर के समस्त सरकारी स्कूलों की सूची भेजना सुनिश्चित करें जिनमें राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की सकती है।
2. जिला मुख्यालय स्तर तथा उप–मण्डल स्तर के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों व स्कूलों की लिखित सहमति पत्र जो राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना उनके स्कूल में करवाना चाहते हैं।
3. मामले में अध्यापक प्रतिनिधियों / स्थानीय क्षेत्र के जन–प्रतिनिधियों अथवा अन्य समस्त सम्बन्धित हितधारकों को भी विश्वास लिया जाए तथा उनसे मामले में विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श किया जाए।

कृपया मामले में व्यक्तिगत ध्यान दें तथा उपरोक्त सूचना इस निदेशालय को दो दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रेषित की गई सूचना को ईमेल के माध्यम द्वारा भी (E-mail: dhe-sml-hp@nic.in and email: genbr2019@gmail.com) भेजना सुनिश्चित करें। ताकि मामले में तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जा सके।

(डा0 अशीष कुमार मिश्रा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0 संवर्ग),
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या–शिक्षा–उच्चतर शिक्षा(21)एफ(18)30 / 2020–वी दिनांक अक्तूबर,2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अधीक्षक, सूचना एवम प्रौधोगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पत्र की प्रति को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बारे।
2. रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0 संवर्ग),
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश